



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली दिनांक 18.09.2025

थाना बिनौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 शातिर गौकश अभियुक्त नाजिम को बाद पुलिस मुठभेड़ घायलावस्था में किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 03 खोखा कारतूस तथा गौकशी के उपकरण 01 दाब, 03 छुरे व 01 रस्सा व 01 मोटरसाइकिल नं0 HR-11D-7271 एवं 01 प्रतिबंधित पशु बरामद ।

कार्यवाही

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/शातिर अपराधियों की



गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर गौकश नाजिम को बाद पुलिस मुठभेड़ घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 03 खोखा कारतूस तथा गौकशी के उपकरण 01 दाब, 03 छुरे, 01 रस्सा व 01 मोटरसाइकिल हीरो होण्डा स्प्लैण्डर नं0 HR11D7271 एवं प्रतिबंधित पशु बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 291/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/8 गोवध अधि. व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

नाजिम पुत्र शहीद निवासी ग्राम शेखपुरा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 03 खोखा कारतूस ।
- गौकशी के उपकरण 01 दाब, 03 छुरे व 01 रस्सा ।
- 01 मोटरसाइकिल हीरो होण्डा स्प्लैण्डर नं0 HR11D7271
- 01 प्रतिबंधित पशु ।

गिरफ्तारी का स्थान- उक्त अभियुक्त दिनांक 18-09-2025 समय 2.45 बजे दादरी मोड के पास थाना बिनौली क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त रिजवान का आपराधिक इतिहास -

1-मु0अ0सं0 006/2022 धारा 120B/201/302/363 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 150/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0 28/2025 धारा 20/8 NDPS act थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश कुमार शर्मा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2-उ0नि0 श्री नीलकान्त सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।

3-उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।

4-उ0नि0 श्री राहुल यादव थाना बिनौली जनपद बागपत ।

5-उ0नि0 श्री प्रदीप नादर थाना बिनौली जनपद बागपत ।

6-है0का0 525 दीपक भाटी थाना बिनौली जनपद बागपत ।

7-है0का0 440 राशिद खान थाना बिनौली जनपद बागपत ।

8-है0का0 664 शेर सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।

9-है0का0 354 निलेश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।

10- है0का0 15 यशविन्दर सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।

11-का0 718 अनित कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।

12-का0 11 प्रवेश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

दिनांक 18.09.2025

बागपत पुलिस ने 07 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस ने 07 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1- अनुज पुत्र सतवीर उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम ढिकौली थाना चौदीनगर जनपद बागपत ।
- 2-सत्यपाल पुत्र कबूल निवासी कुर्डी थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 3-नीटू पुत्र भूल्लन निवासी कुर्डी थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 4-विशाल पुत्र रामपाल निवासी ग्राम ककडीपुर थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 5-सोनू पुत्र रामपाल निवासी ककडीपुर थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 6-ओमकार पुत्र रामपाल निवासी ककडीपुर थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 7-फरमान पुत्र सकूरा निवासी अशरफाबाद थल थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थाना रमाला पुलिस टीम । (04 वारंटी)



2-थाना छपरौली पुलिस टीम । (02 वारंटी)

3-थाना चांदीनगर पुलिस टीम । (01 वारंटी)



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 18.09.2025

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से अवैध निर्मित पटाखे वजन करीब 120 किलोग्राम बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से अवैध पटाखे की 06 पेटी जिनका वजन करीब 120 किलोग्राम बरामद हुई है ।



उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 312/25 धारा 5/9(बी)01(बी) विस्फोटक अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राहुल पुत्र मुकेश निवासी मैनुआ पुलिया कस्बा टटीरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत उम्र 26 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

- 06 पेटी अवैध निर्मित पटाखे वजन करीब 120 किलोग्राम ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ०नि० श्री कुलजीत कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत
- 2-है०का० 599 सचिन कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत
- 3-है०का० 516 सतेन्द्र गिरी थाना खेकडा जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 18.09.2025

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 24 पच्चे अवैध देशी शराब यू०पी० मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 24 पच्चे अवैध देशी शराब यू०पी० मार्का बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु०अ०सं० 311/25 धारा 60 उ०प्र० आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. अनिल पुत्र भाईचंद निवासी वार्ड 02 पट्टी शाहजांहपुर मौ० विजयनगर कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत उम्र करीब 33 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

- 24 पच्चे अवैध देशी शराब यू०पी० मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
2. है0का0 785 सुनील कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 3.का0 247 निशान्त कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।

